No.19024/04/2016-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

North Block, New Delhi
Dated: 26.10.2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Permission to travel by private airlines in respect of journey performed for donation/transplantation of organs by Govt. servant.

It has come to notice that in a few cases involving organ transplantation, timely transportation of the patient or transportation of the organ which is a very crucial part of the process got delayed because of non-availability of Air India flights. Also, references have been received in this Department that Govt. employees are facing hardship in obtaining ex-post-facto approval in such cases.

2. The matter has been considered in the Department and in view of the urgency involved in cases of harvesting of organs or transplantation of organs where speedy transportation of the patient or organs is involved, it is clarified that in all such cases travel by any airlines other than Air India may be allowed to Govt. servants.

3. This is issued with the approval of Finance Secretary.

26/10/2016
(Nirmala Dev)
Deputy Secretary (EG)
Telefex: 23093276

All Ministries/ Departments of Government of India

Copy to NIC for uploading on the official website of the Department of Expenditure

सं.19024/04/2016-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

26 अक्तूबर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सरकारी सेवक द्वारा अंगों के दान/प्रत्यारोपण के लिए की गई यात्रा के संबंध में निजी एयरलाइन्स से यात्रा करने की अनुमति।

यह देखा गया है कि अंग प्रत्यारोपण के कुछ मामलों में, रोगी या अंग के समय पर पहुंचने, जो इस प्रक्रिया का एक अति महत्वपूर्ण भाग है, में एयर इंडिया की उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण विलंब हो जाता है। इस विभाग में ऐसे पत्र भी मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों को ऐसे मामलों में कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

2. विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और अंगों को निकाले जाने या अंगों के प्रत्यारोपण के मामलों में तात्कालिकता, जहां रोगी या अंगों को शीघ्र पहुंचाना होता है, को देखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी मामलों में सरकारी सेवकों को एयर इंडिया से भिन्न किसी एयरलाइन्स से यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

टेलीफेक्सः 23093276

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपिः एनआईसी को व्यय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।